कार्यालय नगर पालिका परिषद नकुड, (सहारनपुर)

NIC

पत्रांकः 2482/निर्माण/सौन्दर्यकरण/2016–2017 दिनांक–: 13.12.2016

–: अल्पकालिक निविदा सूचना :–

नगर पालिका परिषद नकुड (सहारनपुर) के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद नकुड जनहित मे वर्ष 2016–17 के लिए नया सवेरा नगर विकास योजना, नया सवेरा नगर विकास योजना अनुदान संख्या 83, आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से शासनादेश मे उल्लिखित कार्यो को कराना चाहती हैं, जिनके लिये सीलबन्द निविदाये दिनांक 21.12.2016 की दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। सभी कार्यों की निविदायें अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) सहारनपुर के सम्मुख दिनांक 21.12.2016 को दिन के 4:00 बजे उपस्थित ठेकेदारो के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एक दिन पूर्व कार्य दिवस की सांय 5:00 बजे तक निर्धारित मूल्य देकर पालिका कार्यालय से अथवा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) सहारनपुर के कार्यालय से भी कय की जा सकती हैं। प्रत्येक कार्य की निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि पृथक–पृथक , नगद अथवा बैंक एफ0डी0आर0, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नकुड के नाम बंधक हो, जमा करना अनिवार्य होगा। कोई भी प्रतिबंधित निविदा स्वीकार नही की जायेगी। ठेकेदार को शासनादेशों के अनु... निर्धारित दरों पर स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट तहरीर कराकर स्वीकार करना होगा। ठेकेदार द्वारा निविदा प्राप्ति के उपरान्त कार्य का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि पृथक–पृथक , नगद अथवा बैंक एफ0डी0आर0, जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नकुड के नाम बंधक हो, जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी भी ठेकेदार के लाईसैन्स का पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को शासन द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों का पालन करना होगा। बिना कारण बताये कोई भी निविदा निरस्त की जा सकती है। निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे निहित है। ठेकेदार को पालिका की शर्तो का पालन करना होगा। अन्य जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस मे उपरोक्त कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सम्बन्धित कार्यो को जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी देखा जा सकता है। कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	कार्य का नाम	आंकलित धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	नया सवेरा नगर विकास योजना :–				
(क)	ढोबरा तालाब की सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य।	37,23,211–00	74,500–00	3,750+5%वैट	तीन माह
(ख)	महादेव मन्दिर से खेडा भवन, नेमचन्द के मकान से जनक मन्दिर वाया पोस्ट आफिस, बनारसी तिराहे से पवन लाला के गोदाम तक एंव जितेन्द्र सभासद के मकान से सरस गोयल के मकान तक वाया टैगोर विद्यालय रोड पर सौन्दर्यकाण का विकास कार्य।	22,84,803–00	45,700–00	2,300+5%वैट	तीन माह
2	नया सवेरा अनुदान 83 मलिन बस्ती विकास योजना :				
(क)	अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में झारखण्डी मन्दिर से जाहरवीर चौक तक एंव नया गांव रोड से हुकुम सिंह के मकान तक) वाया पदम, दुर्गा प्रसाद एंव अमर सिंह का मकान तक (रोड पर सौन्दर्यकरण का कार्य)।	26,61,686–00	53,250–00	2,700+5%वैट	तीन माह
3	आदर्श नगर योजना :–				
(क)	अध्याना तिराहे से बाईपास नकुड रोड का सौन्दर्यकरण विकास कार्य।	29,10,900–00	58,250–00	2,920+5%वैट	तीन माह
(ख)	वार्ड न0 12 की विभिन्न गलियों में विद्युतिकरण का कार्य।	34,25,000–00	68,500–00	3,425+5%वैट	तीन माह

कमशः– 2.........

नोटः– 1. सौन्दर्यकरण/विद्युत कार्यो के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 227/2015/1689/नौ–8–2015–96 ज/2015 नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक 20–11–2015 एवं इस सम्बन्ध मे शासन द्वारा जारी विभिन्न शासनादेशो में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार एल0इ0डी0 लाईटो के गुणवत्ता निर्धारण हेतु भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा एल0ई0डी0 लाईट आई0एस0आई0 मार्का/माडयूल तथा एल0एम0–79, आई0पी0 65 या आई0पी0 66 या आई0पी0 67 स्टैण्डर्ड की विशिष्टियों के अनुसार व कम से कम 5 वर्ष की रिप्लेसमेंट गारंन्टी के साथ जो उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में कटेगिरी ए0ए0ए0 में सूचीबद्ध हो, का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

2. यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि मे 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कर अनुबन्ध नहीं कराया जाता है, तो कार्य की निविदा मे 2 प्रतिशत जमा धरोधर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

3. इसके अतिरिक्त निविदा मे उल्लिखित योजनाओ/कार्यो के सम्बन्ध मे शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अन्य शासनादेशो /कार्यालय ज्ञापों मे दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन ठेकेदार को अनिवार्यतः करना होगा। अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार स्वयः उत्तरदायी होगें।

(नवनीत कुमार सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नकुड (सहारनपुर)

(धनीराम सैनी)
एडवोकेट
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
नकुड,(सहारनपुर)।

प्रतिलिपिः– निम्न की सेवा मे सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचारार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर।
2. तहसीलदार नकुड, सहारनपुर।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें जनपद सहारनपुर।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतू।
5. सम्पादक दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र सहारनपुर व दैनिक जनवाणी हिन्दी समाचार पत्र को आगामी अंक मे कम से कम स्थान पर प्रकाशन हेतू।
6. नगर पालिका परिषद नकुड जनपद सहारनपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदार श्री धीर सिंह, श्री सुरेश कुमार , श्री रविन्द्र कुमार , आर0के0 एन्टरप्राईजिज व डी0एस0 कन्स्ट्रक्शन ठेकेदार को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नकुड (सहारनपुर)